


कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 मार्च, 2014

-0 आदेश 0-

क्रमांक / ७० /व.जि.पं./स्टेनो/2014, मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के परिव्रेक्ष में इन्दौर जिले में स्थित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य सार्गदर्शक सिद्धांत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते हैं। उक्त दरें दिनांक 01.04.2014 एवं तत्पश्चात् पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रभावशील होंगी।


संलग्न :- उपर्युक्तानुसार।


(आकाश त्रिपाठी)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति,
जिला इन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक/149 /व.जि.पं./स्टेनो/2014,
प्रतिलिपि :-

इन्दौर, दिनांक 04, मार्च, 2014

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयक, समस्त उप पंजीयक/उप पंजीयक, जिला इन्दौर को पालनार्थ। इसकी एक प्रति सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाये।


कलेक्टर एवं
अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति,
जिला इन्दौर

शासन की लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लिये राजस्व जुटाने वाले विभागों में पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की व्यक्ति के जीवन में अहम् भूमिका होती है। पंजीयन विभाग रथाई प्रकृति के इन्हीं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है। स्टाम्प व पंजीयन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले प्रदेश के कुल राजस्व में इन्दौर जिले का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है। इस प्रकार राजस्व की दृष्टि से इन्दौर प्रदेश का अग्रणी जिला है।

संपत्ति क्रय के मामलों में नजदीक के फायदे की नहीं, बल्कि दूर के नुकसान की सोचना चाहिये। प्राप्टी खरीद कर पॉवर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेन्ट, वसीयतनामा, अलॉटमेन्ट लेटर या किसी अन्य डॉक्यूमेन्ट (जैसे नगरीय संस्था अथवा पटवारी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज भर करा लेना) से काम चलाने की भूल बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसे दस्तावेजों से संपत्ति पर कोई हक (टाइटिल) नहीं मिलता है, भले ही वह रजिस्टर्ड या नोटराईज्ड क्यों न हों। संपत्ति का मूल स्वामी कभी भी पॉवर ऑफ अटॉर्नी कैसिल कर सकता है, किसी दूसरे को पॉवर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, स्वयं भी किसी को रजिस्ट्री कर सकता है। इसके अलावा मूल स्वामी की मृत्यु पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी स्वयमेव शून्य प्रभावी हो जाता है। इसी प्रकार वसीयतकर्ता भी किसी और के नाम दूसरी वसीयत कर सकता है और तब आपके हक में की गयी वसीयत अपने आप शून्य हो जाएगी। वसीयतकर्ता प्राप्टी बेच भी सकता है, क्योंकि वसीयत करके भी जीवित रहने तक कानूनन मालिक वही रहता है। यदि खरीददार पैसा बचाने के चक्कर में बैनामा रजिस्ट्री नहीं कराता है, मात्र पॉवर ऑफ अटॉर्नी लेकर एग्रीमेन्ट कर लेता है तो उसके द्वारा किसी अन्य को प्राप्टी विक्रय कर दिये जाने की स्थिति में टैक्स भरने की जिम्मेदारी भी विक्रेता पर ही आएगी। यदि आपके पास बैनामा रजिस्ट्री नहीं है तो कोई भी बैंक या फायनेंस कंपनी आपको कर्जा नहीं देगी। केवल बैनामा रजिस्ट्री ही आपको कानूनन मालिकाना हक दिलाती है।

मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित अचल संपत्ति के विक्रय का एग्रीमेन्ट रद्दी कागज के टुकड़े से अधिक नहीं है। कब्जा रहित सेल एग्रीमेन्ट पर 1,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा कब्जा सहित सेल एग्रीमेन्ट पर बाजार मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है। अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित सभी तरह के अनुबंध पत्रों का पंजीयन भी अब अनिवार्य कर दिया गया है, किन्तु बिना बैनामा रजिस्ट्री के रजिस्टर्ड अनुबंधों की भी कोई अहमियत नहीं है। अब 1 साल से कम के किरायेनामे पर सालाना किराये का 1 प्रतिशत और 3 साल से कम के लिये मात्र 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता है, इसलिये 100 रुपये के स्टाम्प पर किराये का एग्रीमेन्ट भी वैध नहीं होता है। इसी तरह 1 साल तक की प्रतिफल रहित पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर ही 1,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है। विक्रय हेतु पॉवर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्री भी अब कानूनन अनिवार्य कर दी गयी है। एक साल से ज्यादा की पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर प्राप्टी के बाजार मूल्य अनुसार 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है। यानी बैनामा बराबर स्टाम्प शुल्क देने के बावजूद आपको पॉवर ऑफ

अटॉर्नी से संपत्ति पर कानूनन हक नहीं मिलेगा। टोल टैक्स वसूली, खदान या मछली पकड़ने के पट्टे, नजूल पट्टे की भी रजिस्ट्री कानूनन जरूरी है, क्योंकि इनकी अवधि प्रायः 1 वर्ष से अधिक होती है। बिल्डर द्वारा बनाकर दिये गये मकान को क्रय करने पर मकान बनाने के अनुबंध पर भी प्रस्तावित निर्माण व्यय पर 3 प्रतिशत एवं कॉलोनी विकास पर प्राकलित व्यय का 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रभार्य है। यदि बैंक, ऋण वसूली अभिकरण, तहसीलदार या वाणिज्यिक कर अधिकारी की नीलामी में आपने संपत्ति खरीदी है तो उसके सेल सर्टिफिकेट पर भी सही स्टाम्प ड्यूटी चुकाये बिना आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। ऐसा दस्तावेज जिस पर सही स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया हो, वैध नहीं होता है। यदि वह कभी जांच में आया या कोर्ट में पेश किया गया तो सही स्टाम्प शुल्क की 10 गुना पेनाल्टी तक आपको भुगतनी पड़ सकती है।

आपको चाहिये कि आप अपनी रजिस्ट्री कराते समय ही विक्रेता से पुरानी मूल रजिस्ट्री प्राप्त कर यह भी सुनिश्चित कर लें कि बेची जाने वाली संपत्ति शासकीय नहीं है। पुरानी रजिस्ट्रियों तथा नामांतरणों की जांच आपके हक को ही पुख्ता करेगी। यदि जमीन का खसरा उपलब्ध हो तो उसे भी अवश्य देखें। पूर्व के खसरों की सत्यापित प्रतियां भी तहसील कार्यालय से प्राप्त कर अपनी संतुष्टि कर लें। निर्मित शहरी संपत्ति के मामले में प्राप्टी टैक्स की रसीद भी देखें। यदि विक्रेता पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक है तो मूल स्वामी से पॉवर ऑफ एटॉर्नी का सत्यापन करा लें। शासकीय पट्टे के मामले में पट्टे की प्रति प्राप्त कर यह भी देख लें कि पट्टाधारी को संपत्ति अंतरित करने का अधिकार है या नहीं। मूल बात ध्यान रखें कि विक्रेता उतने ही अधिकार आपको दे सकता है, जो उसे प्राप्त है, उससे अधिक नहीं।

बैनामा हेतु पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत से भी कम होता है। स्टाम्प व पंजीयन शुल्क संपत्ति के खरीदी मूल्य या गाईड लाईन अनुसार निर्धारित मूल्य, जो भी अधिक है, पर लगता है। बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की राशि सामान्यतः इस प्रकार होती है—

शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
निर्मित संपत्ति	खाली भूमि	निर्मित संपत्ति	खाली भूमि
7%	7.25%	6%	6.25%

मैं आशा करता हूं कि सभी नागरिक और लोक-अधिकारी विधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगे और किसी भी शंका की स्थिति में वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री यूएस.बाजपेयी अथवा संबंधित उप पंजीयक कार्यालय से संपर्क करेंगे, ताकि अनावश्यक विवाद पैदा न हों एवं नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहें।

इन्दौर, दिनांक 10.05.2014

Akash
(आकाश त्रिपाठी)
कलेक्टर,

वर्ष 2014-15 की बाजार मूल्य गाईड लाइन हेतु उपबंध

कृषि भूमि हेतु उपबंध

1. ऐसे क्षेत्रों/ग्रामों जिनमें सङ्कर पर सिंहत सम्पत्ति के मूल्य भूमि से निर्धारित हैं, को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में राज्यीय शोजनार्थी एवं उनके वायपास पर सिंहत भूमि का मूल्य कृषि भूमि के लिए निर्धारित मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक, राज्य भार्ती एवं उनके वायपास पर सिंहत भूमि का मूल्य कृषि भूमि के मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक, मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग पर सिंहत भूमि का मूल्य कृषि भूमि के मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक माना जायेगा। भूमि जो सङ्कर से 20 फीटर तक की दूरी पर सिंहत है, के लिए सङ्कर से तभी ही भूमि की दर उस भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल हेतु मान्य की जाएगी।
2. कफिलगढ़ कमांक 4 में उल्लिखित क्षेत्रों/ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्रों में 0.05 हेक्टेयर से अधिक व्यापवर्ती भूमि (आवास, उद्योग, व्यवसाय, एवं अन्य उपयोग हेतु) का मूल्यांकन सिंहित कृषि भूमि के मूल्य का देख गुण मान्य किया जाएगा।
3. मुख्य खनिज चत्खनन (गौण खनिज छोड़कर) के उपयोग हेतु निर्धारित भूमि का मूल्यांकन सिंहित कृषि भूमि के मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक मान्य किया जायेगा।
4. शहरी क्षेत्र में कृषि/नज़ूल भूमि की सभी प्रशोजन हेतु मूल्यांकन निम्नानुसार मान्य किया जाएगा—

- (4.1) नगर निगम क्षेत्र इन्दौर, भोपाल, रायलियर, जबलपुर में तथा उपर जिलों की गाईड लाइन में इस प्रावधान हेतु विशेष रूप से उल्लिखित ग्रामों में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार मान्य किया जाएगा—

कमांक	भूमि का क्षेत्रफल	व्यववर्ती कृषि भूमि	अव्यववर्ती कृषि भूमि
(अ)	जब भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर अथवा इससे कम हो।	प्रालय-1 में निर्धारित विकलित भूखण्ड की दर	प्रालय-1 में निर्धारित आवासीय भूखण्ड की दर
(इ)	जब भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से अधिक हो।	प्रथम 1000 वर्गमीटर तक (अ) अनुसार + शेष भूमि के लिए प्रालय-3 में निर्धारित कृषि भूमि की अविकलन दर का डेढ़ गुना	प्रथम 1000 वर्गमीटर तक (अ) अनुसार + शेष भूमि के लिए प्रालय-3 में निर्धारित कृषि भूमि की दर

- (4.2) इन्दौर, भोपाल, रायलियर एवं जबलपुर के निवेश क्षेत्र के ग्रामों (जो कफिलगढ़ 4.1 के अन्तर्गत समिलित नहीं हैं), प्रदेश के शेष नगर निगम क्षेत्रों एवं गाईड लाइन में इस प्रावधान हेतु विशेष रूप से उल्लिखित ग्रामों में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार मान्य किया जायेगा—

कमांक	भूमि का क्षेत्रफल	व्यववर्ती कृषि भूमि	अव्यववर्ती कृषि भूमि
(अ)	जब भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर अथवा इससे कम हो।	प्रालय-1 में निर्धारित विकलित भूखण्ड की दर	प्रालय-1 में निर्धारित आवासीय भूखण्ड की दर
(इ)	जब भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक हो।	प्रथम 500 वर्गमीटर तक (अ) अनुसार + शेष भूमि के लिए प्रालय-3 में निर्धारित कृषि भूमि की अविकलन दर का डेढ़ गुना	प्रथम 500 वर्गमीटर तक (अ) अनुसार + शेष भूमि के लिए प्रालय-3 में निर्धारित कृषि भूमि की दर

अध्यक्ष कोन्सायर मूल्यांकन दोर्ड
एवं महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश, भोपाल

कृषि भूमि हेतु उपबंध

- (4.3) नगरपालिका क्षेत्रों एवं गार्डलाइन में इस प्रावधान हेतु विशिष्ट रूप से उत्तिथित आनों में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार मात्र किया जायेगा —

क्रमांक.	भूमि का क्षेत्रफल	व्यवहारित कृषि भूमि	अव्यवहारित कृषि भूमि
(3)	जब भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर अथवा इससे कम हो	प्राप्त-1 में निर्धारित विकसित भूखण्ड की दर	प्राप्त-1 में निर्धारित आवासीय भूखण्ड की दर
(4)	जब भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक हो	प्रथम 500 वर्गमीटर तक (अ) अनुसार + शेष भूमि के लिए प्राप्त-3 में निर्धारित कृषि भूमि की अधिकतम दर का छेद गुना	प्रथम 500 वर्गमीटर तक (अ) अनुसार + शेष भूमि के लिए प्राप्त-3 में निर्धारित कृषि भूमि की दर

- (4.4) नगर परिषद क्षेत्रों एवं गार्डलाइन में इस प्रावधान हेतु विशिष्ट रूप से उत्तिथित आनों में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार मात्र किया जायेगा —

क्रमांक	भूमि का क्षेत्रफल	व्यवहारित कृषि भूमि	अव्यवहारित कृषि भूमि
(3)	जब भूमि का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर अथवा इससे कम हो	प्राप्त-1 में निर्धारित विकसित भूखण्ड की दर	प्राप्त-1 में निर्धारित आवासीय भूखण्ड की दर
(4)	जब भूमि का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक हो	प्रथम 300 वर्गमीटर तक (अ). अनुसार + शेष भूमि के लिए प्राप्त-3 में निर्धारित कृषि भूमि की अधिकतम दर का छेद गुना	प्रथम 300 वर्गमीटर तक (अ) अनुसार + शेष भूमि के लिए प्राप्त-3 में निर्धारित कृषि भूमि की दर

5. जब कृषि भूमि के विभिन्न मूल्यांकनों (जो सहजतेदार न हो) द्वारा मिलकर एक दस्तावेज द्वारा भूमि का अन्तरण किया जाता है अथवा विभिन्न पक्षकारों (जो एक ही परिवार के सदस्य न हो) द्वारा क्रय किया जाता है तो प्रत्येक अंतरिक्त द्वारा अन्तरित हिस्तों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि हेतु उपर्यन्त की कमिका 4 अनुसार मात्र किया जायेगा। परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, दादा, दादी, भौंडी, भासु, सास, ससुर, एवं दहु सम्मिलित भासु जाएंगे।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि असिंचित रख दो फसली होने पर प्राप्त-3 में निर्धारित असिंचित भूमि की दर से 25 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन भासु किया जायेगा।
7. सिविल भूमि के मूल्यांकन में कुएं, दूधवाल आदि का मूल्य पृथक से नहीं जोड़ा जायेगा।
8. दृढ़ों की मोटाई (परिधि) 45 सेंटीमीटर से अधिक होने पर इमारती दृढ़ — सार्वीन का मूल्य 50,000 रुपये तथा साल, शीशाम, साजा आदि अन्य इमारती दृढ़ 30,000 रुपये, फलदार दृढ़ का मूल्य 10,000 रुपये एवं मिश्र दृढ़ का मूल्य 5,000 रुपये प्रति दृढ़ आंका जाएगा। जिन दृढ़ों की मोटाई (परिधि) 45 सेंटीमीटर से कम हो उनका मूल्य 3000 रुपये प्रति दृढ़ आंका जाएगा।

[Signature]
अध्यक्ष कैन्टीमीटर मूल्यांकन बोर्ड
एवं महानियोजक पंजीयन
मध्यप्रदेश, भोपाल

कांगड़ी भूमि छेत्र उपचय

9. प्रस्तुप दीवाने के कोलम (6) में 'आमीण' क्षेत्रों में 300 लार्गमीटर तक के भूखण्डों का मूल्य प्रति वर्गमीटर की नियमित दर से मात्र किया जाएगा।
10. ऐसे क्षेत्रों जिनके मूल्य गाइडलाइन में विधिवित नहीं दिए गए अथवा छूट गए हैं, कें संबंध में जिला पर्यायिक जिला मूल्यांकन उपनिवेश आप्स्ट्रोन और महानिवेशिक पर्यायिक को प्रत्युत करें। इन क्षेत्रों के दिए गाइडलाइन मूल्य वर्ष के दीशन पृष्ठक से जोड़ी किये जा सकेंगे।
11. यदि किसी सम्पत्ति के विषय में एक से अधिक दर लाने का आशय निकलता है, तो उनमें से अधिकतम दर भार्या की जावेगी।

संधेश कोन्सीय मूल्यांकन दोर्ड
एवं नदानिवीकृत पर्यायिक
मध्यप्रदेश, मोपाल

मंबनों हेतु उपबंध

1. 20 वर्ष से अधिक पुरानी निर्मित सम्पत्ति में शर्तानन निप्राप्त लागत पर 10 प्रतिशत तथा 50 वर्ष से अधिक पुरानी निर्मित सम्पत्ति परे 20 प्रतिशत का अवक्षयण (Depreciation) मात्र किया जायेगा।
2. ऐसे बहुमंजिला भवनों, जिनमें मध्यप्रदेश एकोट स्पालिंग अधिनियम, 2000 एवं उसके अधिनियम की धारा 4(3), 4(5), तथा 6 के व्यवहारों के अनुरूप प्रक्रीया (आपार्टमेंट) के बाजार मूल्य की गणना आपार्टमेंट के विट्ट-अप शेयर के लिए उसके सम्मिलित शेयर (common areas) एवं सुविधाओं (amenities) में अनिवार्य हित/अंश (undivided share) के केत्र को सम्मिलित करते हुए की जाएगी।
3. आवासीय बहुमंजिला भवनों (Apartment Complex) में फ्लैट/आपार्टमेंट (एकोट) का भूत्यांकन निम्नानुसार मात्र किया जाएगा—

मंजिल (Floor)	जहाँ गाइड लाइन में पृथक से मूल्य निर्धारित है, वहाँ मूल्य	जहाँ गाइड लाइन में मूल्य पृथक से निर्धारित नहीं है, वहाँ प्र० प्र० दो में आर. सी.सी. छत की निर्मित सम्पत्ति का मूल्य
1 तल मंजिल (Ground Floor) परिवार	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य का 80 प्रतिशत।
तलघर (Basement) एवं प्रथम मंजिल पर स्थित	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य का 95 प्रतिशत।	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य का 75 प्रतिशत।
द्वितीय मंजिल पर स्थित	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य का 90 प्रतिशत।	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य का 70 प्रतिशत।
तीसरी व चतुर्थ ऊपर की मंजिलों पर स्थित	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य का 85 प्रतिशत।	गाइड लाइन में दराये गये मूल्य का 65 प्रतिशत।

- टॉप :- 1. आवासीय बहुमंजिला भवन ने लिफ्ट की सुविधा होने पर ऊपरी तल की मंजिलों हेतु तल मंजिल (Ground Floor) का दराया गया मूल्य की मात्र किया जायेगा।
2. यदि किसी एक बहुमंजिला बिल्डिंग (multistoried houses) की तल मंजिल (Ground Floor) एवं ऊपरी तलों को पृथक-पृथक अंतरित किया जाता है, तो उपरोक्तानुसार कॉलम 3 की दरें ही मात्र होंगी।
4. आवासीय बहुमंजिला भवनों में तल अनुसार निम्नानुसार भूत्यांकन किया जायेगा—
 - (अ) मेजाइन फ्लॉर एवं तल लोअर आपार्टमेंट फ्लॉर पर स्थित सम्पत्ति के मूल्य से 10 प्रतिशत कम
 - (ब) तलघर (Basement) एवं प्रथम मंजिल पर स्थित सम्पत्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत कम
 - (स) द्वितीय मंजिल पर सम्पत्ति के मूल्य से 40 प्रतिशत कम
 - (द) तृतीय मंजिल पर स्थित सम्पत्ति के मूल्य का 50 प्रतिशत कम
 - (इ) चौथा एवं इसके ऊपर मंजिल पर स्थित सम्पत्ति के मूल्य से 60 प्रतिशत कम

✓
अध्यक्ष कोन्स्ट्रक्शन ग्रोउ
एवं महानीरीक्षक, राजीवगंगा
मध्यप्रदेश, भोपाल

मदनों हेतु उपबंध

टीप -

- (1) किसी भी स्थिति में किसी भी मंजिल पर नियत व्यावसायिक सम्पत्ति का मूल्य उस तर की आवासीय सम्पत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा। बहुमंजिला व्यावसायिक मंजिलों में सम्पत्ति के शहर की मड़कों से तभी हुई न होने पर सामान्य से 15 प्रतिशत कम दरों पर मूल्यांकन प्राप्त किया जावेगा।
- (2) उपरोक्त छठ्टे भौम (पॉर्टिंग एवं अन्य) की सम्पत्ति पर लागू नहीं होनी चाही तथा किसी भी मंजिल की अंतरित सम्पत्ति का भूम्यकान ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन अनुसार ही मान्य किया जावेगा।

यदि किसी वस्ताविच द्वारा दो या अधिक मंजिलों का एक बहुमंजिला घर (multi-storeyed house) का अन्तर्ला एक ही व्यक्ति को किया जाता है, तो भूम्य की गणना प्रत्येक तर के लिये पृथक से नहीं की जाएगी। अपितु एक घर ही सम्मिलित की जाएगी। प्रथम, हितीय तथा तृतीय व उससे कमरी तरों के लिये नियमण लागत में कमज़ो 5, 10 तथा 15 प्रतिशत की कमी भी जान्य की जाएगी।

5. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्नत में जिन भूम्यों का प्रयोजन व्यावसायिक निर्धारित है, उन पर नियमित भवनों का मूल्यांकन व्यावसायिक भवन से किया जावेगा। यदि अच्यु प्रयोजन हेतु नियरित भूम्यों पर व्यावसायिक भवन निर्मित है, तो उनका मूल्यांकन व्यावसायिक आधार पर ही मान्य किया जावेगा।

6. खुली छत का अंतरण होने पर उस क्षेत्र में स्थित भूम्य की दर का 70 प्रतिशत मूल्य मान्य किया जावेगा।

7. औद्योगिक इकाईयों के मूल्यांकन में आवासीय नियमण हेतु नियत दरों का 70 प्रतिशत मूल्य मान्य किया जावेगा।

8. संक्षम प्राविकारी द्वारा घोषित गन्ती वसियों में 35 वर्षांशीर तक के वधनों का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु नियरित दर से 50 प्रतिशत कम मान्य किया जाएगा। प्रत्यनु भवन के ईडब्ल्यूएस. थ्रॉनों को होने के संबंध में संक्षम प्राविकारी को प्रमाण पत्र/ प्रमाणित नस्ता एवं आवासीय का नाम कलेक्टर द्वारा अधिसूचित ईडब्ल्यूएस. की प्रबंधित सूची में शामिल होने वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता। दरों में यह कमी आवासीय को उत्तर सम्पत्ति के ईडब्ल्यूएस. थ्रॉनों में फैल प्रथम आवेदन प्रर. ही की जाएगी।

9. नगर विभा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्नत में जो भूम्यण ईकाई (स्कूल/फॉलोज/अस्पताल/नर्सिंग होम) हेतु आवश्यित हैं, उन पर नियमित इकाईयों का मूल्यांकन प्रलिप-2 में नियारित आवासीय नियमण लागत दर अनुसार मान्य किया जाएगा।

10. ऐसे खेतों परिक्षण के नियमण हेतु नियरित नहीं किए गए अथवा छूट गए हैं, के संबंध में जिला पर्वीयक नियारित आवासीय नियमण लागत दर अनुसार मान्य किया जाएगा।

11. ऐसे खेतों परिक्षण के नियमण हेतु नियरित नहीं किए गए अथवा छूट गए हैं, के संबंध में जिला पर्वीयक नियारित आवासीय नियमण लागत दर अनुसार मान्य किया जाएगा।

12. यदि किसी सम्पत्ति के विषय में एक से अधिक दर होने का आवास निकलता है, तो उनमें से अधिकतम दर मान्य की जावेगी।

✓
अध्यक्ष कोन्सीय मूल्यांकन दोड
एवं महानियोक्ता पंजीयन
मध्यप्रदेश, भोपाल

भूखण्ड हेतु उपबंध

1. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संनके दोष-पास पर स्थित भूखण्ड का मूल्य भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक बढ़ाय भारी एवं उनके दोष-पास पर स्थित भूखण्ड का मूल्य भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 50 प्रतिशत सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक माना जाएगा। किन्तु जहाँ उत्त नार्ह पर स्थित भूखण्ड का मूल्य पृथक के लिये निर्धारित है, वहाँ उत्त प्रावधान लाग जाएगा। भूखण्ड जो सड़क से 6 मीटर तक की दूरी पर स्थित है, के लिए सड़क से लगे हुए भूखण्ड की दूर उस भूखण्ड के संपूर्ण क्षेत्रफल हेतु मात्र की जाएगी।
2. भूखण्ड कार्बर पर स्थित होने पर निर्धारित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य मात्र किया जाएगा।
3. भूखण्ड में 'नींद भरी होने पर निर्धारित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य मात्र किया जाएगा। यदि ऐसा भूखण्ड कार्बर पर स्थित है, तो निर्धारित मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य मात्र किया जाएगा।
4. सकाम प्राविकारी द्वारा दीर्घ स्थित अन्दर तक के भूखण्डों तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग एवं नगरीय निकायों द्वारा स्वीकृत दीर्घ स्थितिनियों के कानूनीकरण जारी आविकार का उत्तरांकण, निवेश तथा शहरों नियम, 1993 द्वारा प्राविकारी द्वारा दीर्घ स्थित भूखण्डों का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित दर से 50 प्रतिशत कम या ज्यादा किया जाएगा, परन्तु भूखण्ड के ईडल्यू-एस. श्रेणी का होने के संबंध में सकाम प्राविकारी का प्रभाग पत्र एवं आविकारों को नाम कलेक्टर द्वारा अधिकृति ईडल्यू-एस. की आवाइती को उत्त सम्पत्ति के ईडल्यू-एस. श्रेणी में केवल प्रधम आवृद्धि पर ही की जाएगी।
5. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्नास में जिन भूखण्डों का प्रयोजन व्यावसायिक निर्धारित है, उनका मूल्यांकन व्यावसायिक भूखण्ड के मान से किया जाएगा।
6. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्नास में जो भूखण्ड रौकणिक अथवा स्वारंग्य इकाई (स्कूल/कॉलेज/अस्पताल/निर्माण होने) हेतु आविकारों के उनका मूल्यांकन आवासीय भूखण्ड की 60 प्रतिशत दर से मात्र किया जाएगा।
7. शासन द्वारा अधिकृति औद्योगिक द्वारों के लिए उत्तरांग विभाग/संचायित मन्त्रप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विभाग नियम द्वारा निर्धारित छोटे ग्राम प्रचलित दर सात्य होने।
8. ऐसे द्वारों जिनके मूल्य गाइडलाइन में निर्धारित नहीं किए गए अथवा छट्ट गए हैं के संबंध में जिनका पंजीयक, गिरा यूल्यांकन समिति को प्रत्याक अनुमति देतु महानीशक संसीरन को प्रस्तुत करनेगे। इन द्वारों के लिए गाइडलाइन मूल्य पृथक से दोरान पृथक से जारी किये जाने जाएंगे।
9. यदि किसी सम्पत्ति के विषय में एक से अधिक दर होने का आवश्यकता है, तो उसमें अधिकतम दर मात्र की जाएगी।

✓
अध्यक्ष कोन्सीय मूल्यांकन बोर्ड
एवं नहानीशक पंजीयन
महानीशक, शोपाल

उपबंध स्पष्टीकरण - १

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विहार सभा के सामने, भोपाल-462003)

क्रमांक ६०७/गा.ला./2014

प्रति,

भोपाल, दिनांक ६ फरवरी 2014

संग्रह संकाय
मध्यप्रदेश

विषय - संपत्ति का बाजार निश्चित करने वालत गाइड लाइन वर्ष 2014-15 का निर्धारण-

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक ६/गा.ला./2014, भोपाल, दिनांक 01.01.2014

—००—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर भेजे गये उपबंधों को
निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है -

कृषि भूमि हेतु उपबंध

१. कृषि भूमि हेतु उपबंध की कंडिका क्रमांक १ को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

ऐसे क्षेत्रों/ग्रामों जिनमें सङ्क पर स्थित सम्पत्ति के मूल्य पृथक से निर्धारित हैं। कृषि भूमि के लिये निर्धारित मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक, राज्य मार्ग अथवा उनके आयपास पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक, मुख्य जिला मार्ग अथवा अन्य जिला मार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक माना जावेगा। भूमि जो सङ्क से 20 मीटर तक की दूरी पर स्थित है, के लिए सङ्क से लगी हुई भूमि की दर उस भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल हेतु मात्र की जाएगी।

२. कृषि भूमि हेतु उपबंध की कंडिका क्रमांक २ में प्रथम पंक्ति में उल्लिखित शब्द "0.05 हेक्टेयर" के स्थान पर "0.03 हेक्टेयर" पढ़ा जाए।

३. कृषि भूमि हेतु उपबंध की कंडिका ४ की ऊपर कंडिका 4.1, 4.2, 4.3 एवं 4.4 सभी में क्रमांक (अ) में व्यापवर्त्ती कृषि भूमि के लिये "ग्रामपालण-१ में निर्धारित विकसित भूखण्ड की दर" के स्थान पर "प्रश्लृप-१ में निर्धारित विकसित (आवासीय/व्यवसायिक) भूखण्ड की दर"

4. कृषि भूमि हेतु उपबंध की कण्डिका क्रमांक 5 में परिवार में "देवरानी एवं जेठानी" को भी सम्मिलित मान कर पढ़ा जाए।

5. कृषि भूमि हेतु उपबंध की कण्डिका क्रमांक 7 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

सिंचित भूमि के मूल्यांकन में कुएं, दूधबबेल आदि का मूल्य पृथक से नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात् सिंचित भूमि को दर में सिंचाई के साधन का मूल्य निहित होगा।

भवनों हेतु उपबंध

1. भवनों हेतु उपबंध की कण्डिका क्रमांक 3 के टीप क्रमांक 2 को विलोपित किया जाता है।

2. भवनों हेतु उपबंध की कण्डिका क्रमांक 4 के खण्ड (अ) में "मैजनाईन फ्लोर एवं लोअर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित सम्पत्ति" के स्थान पर "मैजनाईन फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं लोअर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित सम्पत्ति" पढ़ा जाए।

3. भवनों हेतु उपबंध की कण्डिका क्रमांक 5 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

किसी दस्तावेज द्वारा दो या अधिक मंजिल के स्वतंत्र निर्मित बहुमंजिल बंगला (multistoreyed independent house) का अन्तरण एक केता को किए जाने पर भूखण्ड के मूल्य की गणना प्रत्येक तल के लिये पृथक से नहीं की जाएगी, अपितु एक बार ही सम्मिलित की जाएगी। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय व ऊपरसे ऊपर की मंजिलों के लिए निर्माण लागत में क्रमशः 5, 10 तथा 15 प्रतिशत की कमी भी मान्य की जाएगी।

किसी दस्तावेज द्वारा स्वतंत्र निर्मित भवन या बहुमंजिला बंगला (multistoreyed independent house) की तल मंजिल (Ground floor) अथवा ऊपरी किसी तल का पृथक-पृथक भिन्न-भिन्न केताओं को अंतरित किए जाने पर कण्डिका क्रमांक 3 के कॉलम नंबर 3 के अनुसार मूल्यांकन मान्य किया जाएगा।

4. भवनों हेतु उपबंध की कण्डिका क्रमांक 6 को विलोपित किया जाता है।

5. भवनों हेतु उपबंध की कण्डिका क्रमांक 10 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा रखीकृत अभिन्यास में शैक्षणिक अथवा स्वास्थ्य इकाइयों (स्कूल/कॉलेज/अस्पताल/नर्सिंग हास्प) हेतु आरक्षित भूखण्ड पर निर्माण, एवं ऐसे अन्य निर्माण जो व्याघसाधिक/ओदोगीक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, का मूल्यांकन प्रक्रम-2 में निर्धारित आवासीय निर्माण लागत दर अनुसार मान्य किया जाएगा।

भूखण्ड हेतु उपबंध

1. भूखण्ड हेतु उपबंध की कंडिका कमांक 1 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा उनके बाय-पास पर स्थित भूखण्ड का मूल्य भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक, राज्य मार्ग अथवा उनके बाय-पास पर स्थित भूखण्ड का मूल्य, भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक, मुख्य जिला मार्ग अथवा अन्य जिला मार्ग पर स्थित भूखण्ड का मूल्य उक्त क्षेत्र हेतु नियंत्रित भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक भाना जाएगा, किन्तु जहाँ उक्त मार्गों पर स्थित भूखण्ड का मूल्य पृथक से निर्धारित है, वहाँ उक्त प्रावधान लागू नहीं होगे। भूखण्ड जो सड़क से 6 मीटर तक की दूरी पर स्थित है, केंद्रीय सड़क से लगे हुए भूखण्ड की दर उस भूखण्ड के संपूर्ण क्षेत्रफल हेतु भान्य की जायेगी।

2. भूखण्ड हेतु उपबंध की कंडिका कमांक 6 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

भगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में शैक्षणिक अथवा रचार्थी इकाईयों (स्कूल/कॉलेज/अस्पताल/नरिंग होम) हेतु आरक्षित भूखण्ड का मूल्यांकन आवासीय भूखण्ड की दर को 60 प्रतिशत मान्य किया जाएगा। अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखण्डों (व्यावसायिक की छोड़कर) का मूल्यांकन आवासीय भूखण्ड की दर से मान्य किया जावेगा।

3. भूखण्ड हेतु उपबंध की कंडिका कमांक 7 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग विभाग/संबंधित मध्यप्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम द्वारा निर्धारित की गयी भूखण्ड की प्रचलित दरें मान्य होंगी। ऐसे गैर अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में कृषि भूमि हेतु उपबंध की कंडिका 4 में भूमि (आवासीय) हेतु स्लेट अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

पृष्ठांकन कमांक 60/गा.ला./2014
प्रतिलिपि -

D.
अध्यक्ष कर्त्तव्य मूल्यांकन बोर्ड
एवं महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2014

- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- सेमस्त सभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सेमस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समरस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
- समर्पित वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

D.
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विद्यान सभा के सामने, भोपाल-462003)

क्रमांक १५/गा.ला./2014

भोपाल, दिनांक ५ मार्च 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय - सम्पत्ति का बाजार मूल्य निश्चित करने वाले गाइड लाईन वर्ष 2014-15

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 136/गा.ला./2014, भोपाल, दिनांक 09.01.2014

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर भेजे गये प्रस्तुप-चार के शीर्षक "बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/अपार्टमेंट (प्रकोष्ठ) के मूल्य" को संशोधित कर "बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/अपार्टमेंट (प्रकोष्ठ)/कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मूल्य" पढ़ा जाए।

DC

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक ५ मार्च 2014

पृष्ठांकन क्रमांक १७६/गा.ला./2014

प्रलिलिपि :-

- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, संवालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- समरत क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

भूखण्ड हेतु उपबंधों की कंडिका 4.1 हेतु ग्रामों की सूची— वर्ष 2014–15
तहसील इंदौर

इंदौर नगरपालिक निगम क्षेत्र के 14 एवं पेरीफेरी के 32 ग्राम

इंदौर नगरपालिक निगम क्षेत्र			
क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	सिरपुर	8	चितावन्द
2	बीजलपुर	9	कबीटखेड़ी
3	पिपल्याराव	10	तोजपुर गड़बड़ी
4	पिपल्याहना	11	खजराना
5	निरंजनपुर	12	नरवल
6	सुखलिया	13	बाणगंगा
7	मूसाखेड़ी	14	सुलकाखेड़ी

पेरीफेरी क्षेत्र			
क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	लासुड़ियामोरी	17	बिलावली
2	पिपल्याकुमार	18	सुखनिवास
3	भिचौलीमर्दाना	19	अहैरखेड़ी
4	पालदा	20	कैलोदकरताल
5	हुक्काखेड़ी	21	मुण्डलानापता
6	छोटा बागड़दा	22	टिगरियाराव
7	निपानिया	23	निहालपुरभुण्डी
8	लिम्बोदी	24	फतनखेड़ी
9	तलावली चांदा	25	कनाडिया
10	भिचौलीहप्सी	26	रेवती
11	बड़ा बागड़दा	27	भंवरासला
12	टिगरिया बादशाह	28	कुमेड़ी
13	अरिण्ड्या	29	बरदरी
14	शक्करखेड़ी	30	पालाखेड़ी
15	भानगढ़	31	कैलोदहाला
16	मायाखेड़ी	32	राऊ

भूखण्ड हेतु उपबंधों की कंडिका 4.2 हेतु ग्रामों की सूची— वर्ष 2014–15

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	जम्बूर्डीहप्सी	13	देवगुराडिया
2	लिम्बोदागारी	14	असंरावद खुर्द
3	कोडियाबर्डी	15	बाल्याखेड़ा
4	जैनोद	16	सोनारीर
5	रंगवासा	17	बुढानिया
6	बांक	18	मालीखेड़ी
7	उमरीखेड़ा	19	नावदापथ
8	मौरोद	20	सिंदोडा
9	मिजापुर	21	माचल
10	रालामण्डल	22	अम्बामोलिया
11	झलारिया	23	दुधिया
12	बड़ियाकीमा	—	—

वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

भूखण्ड हेतु उपबंधों की कांडिका 4.2 हेतु ग्रामों की सूची— वर्ष 2014-15
तहसील सावेर, जिला इंदौर

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	सावेर	13	लसुडियापरमार
2	सावेर	14	बारोली
3	भाग्या	15	ढावली
4	जाख्या	16	सुलाखेड़ी
5	पंचडेरिया	17	कायस्थखेड़ी
6	मांगल्या सड़क	18	सोलसिन्दा
7	बुड़ी बरलाई	19	रिंगनोदिया
8	राहुखेड़ी	20	बडोदियाएमा
9	गारी पिपल्या	21	जैतपुरा
10	पीर कराडिया	22	मुण्डलाबाग
11	बडोदाऊजुन	23	बिज्जखेड़ी
12	डकाच्या	24	मगरखेड़ा

वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

(DIPALI RASTOGI)
Inspector General of Registration
Madhya Pradesh

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

**भूखण्ड हेतु उपबंधों की कंडिका 4.2 हेतु ग्रामों की सूची— वर्ष 2014–15
तहसील डॉ. आम्बेडकरनगर महू, जिला इंदौर**

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	पिंगड़वर	13	सिमरोल
2	उमरिया	14	गोकन्या
3	सांतेर	15	बोरखेड़ी (हल्का क्रमांक 24)
4	हरनियाखेड़ी	16	पानदा
5	भैंसलाय	17	बरदरी
6	सोनवाय	18	शिवनगर
7	गांगलियाखेड़ी	19	डोंगरगांव
8	कोदरिया	20	गुजराखेड़ा
9	गवली पलासिया	21	सूतारखेड़ी
10	भाटखेड़ी	22	चोरल
11	बंजारी	23	बाईगांव
12	दतौदा	24	भरदला

**भूखण्ड हेतु उपबंधों की कंडिका 4.3 हेतु ग्रामों की सूची— वर्ष 2014–15
तहसील डॉ. आम्बेडकरनगर महू, जिला इंदौर**

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	टीही	17	गोपालपुरा
2	श्रीखण्डी	18	नेउगुराडिया
3	आम्बाचंदन	19	पातालपानी
4	हरसौला	20	रीछाबर्डी
5	मेमदी	21	जामली
6	घोसीखेड़ा	22	आशापुरा
7	चिखली	23	मिचौली
8	जोशीगुराडिया	24	पांजरिया
9	पठानपिल्या	25	जामन्याजागीर
10	पिपल्यालोहार	26	अवलाय
11	पिपल्यामल्हार	27	कैलोद
12	भगौरा	28	रामपुरियाखुरुद
13	नावदा	29	यशवंतनगर
14	खरडाखेड़ा	30	बड़गांदा
15	गवातू	31	राजपुरा (हल्का क्रमांक 16)
16	कवटी	32	बरडिया

**भूखण्ड हेतु उपबंधों की कंडिका 4.4 हेतु ग्रामों की सूची— वर्ष 2014–15
तहसील डॉ. आम्बेडकरनगर महू, जिला इंदौर**

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	महांगांव एवं रोलीखेड़ा नगरपालियायत	11	बोरखेड़ी (हल्का क्रमांक 18)
2	मानपुर नगरपालियायत	12	चौरडिया
3	थवलाय	13	खेड़ी इस्तमुरार
4	नावेड़	14	सिंहोद
5	कुवाली	15	कोडिया
6	हासलपुर	16	शेरपुर
7	खुदालपुरा	17	कांकरिया
8	कमलपुर	18	कदवाली
9	मेण	19	बसीपीपरी
10	मेणमजरा	-	-

वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

(DIPALI RASTOGI)
Inspector General of Registration
Madhya Pradesh

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

DIPALI RASTOGI

भूखण्ड हेतु उपर्यादो की कंडिका 4.4 हेतु ग्रामों की सूची— वर्ष 2014–15
तहसील देपालपुर, जिला इंदौर

क्रमांक	ग्राम का नाम
1	देपालपुर (नगरपालियत क्षेत्र के बाहर एवं भीतर)
2	बेटमा (नगरपालियत क्षेत्र के बाहर एवं भीतर)
3	गौतमपुरा (नगरपालियत क्षेत्र के बाहर एवं भीतर)
4	तकोपुरा
5	बनेडिया
6	कालीबिल्लौद
7	घाटाबिल्लौद
8	ताजखेड़ी

वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति, इन्दौर

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति, इन्दौर

(DIPALI RASTOGI)
Inspector General of Registration
Madhya Pradesh

मार्गदर्शिका वर्ष 2014-15, जिला इंदौर

महत्वपूर्ण निर्देश

- नगरपालिक निगम सीमान्तर्गत ग्रामों एवं मार्गदर्शिका की कॉडिका 4.1 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित ग्रामों (जहाँ प्रश्नाधीन संपत्ति हेतु पृथक से प्रति वर्गमीटर दरें निर्धारित नहीं हैं) में उक्त संपत्ति से लगी हुई कालोनी/कालोनियों हेतु निर्धारित दरों तथा संबंधित ग्राम हेतु निर्धारित दर के औसत मान से स्लेब अनुसार संगणना की जाएगी। किन्तु किसी भी स्थिति में ग्राम हेतु उल्लिखित दर से कम दर पर संगणना नहीं की जाएगी।
- शहरी क्षेत्र में कस्बा इन्डौर, खजरानी, भमोरी दुर्ग, गाडराखेड़ी, भागीरथपुरा तथा पलासियाहाना में सामान्यतः कृषि नहीं है, अतः इन क्षेत्रों में कितना भी बड़ा भूखण्ड हो प्रस्तुप-1 के अनुसार ही दर मान्य की जाएगी।
- रिंगरोड तथा बायपास को मुख्य मार्ग माना जाकर कृषि भूमि के सामान्य मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक मूल्य मान्य किया जाएगा।
- व्यावसायिक बहुमिलाय भवनों में संपत्ति के शहर की सड़कों से लगी हुयी न होने पर सामान्य से 15 प्रतिशत कम दरों पर मूल्यांकन किया जाएगा, किन्तु उक्त छठ के बेल तलघर (Basement), तलमजिल (Ground floor) एवं मेजनाईन तल हेतु ही मान्य की जाएगी।
- कॉर्नर पर स्थित भूखण्ड पर निर्माण होने की दशा में भी भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिक मूल्य मान्य किया जाएगा।
- इंदौर जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों, जिनका उल्लेख इस मार्गदर्शिका में पृथक से नहीं किया गया है, भें निर्माण लागत की दरें निम्नानुसार मान्य की जाएंगी (भूखण्ड का मूल्य पृथक से जोड़ा जायेगा)–

निर्माण लागत प्रति वर्गमीटर- आवासीय				दुकान	कार्यालय	गोदाम
आर.सी.सी. छत	आर.सी.सी. छत, विष/मार्कर फर्सी की छत	अंगूष्ठी टाईस्ट, टी.न. सीमेंट बींद, लकड़ीयाट की छत	कवेलु की छत			
7,000	6,000	4,500	3,500	8,500	8,000	7,500

- कुएं का मूल्य— 40,000 रुपये।
- ट्यूबवेल का मूल्य—1,00,000 रुपये।
- भूखण्ड/मवन में बोरिंग होने पर 75 हजार रुपये मूल्य पृथक से जोड़ा जायेगा।

वरिष्ठ जिला पर्यायिक एवं संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति, इंदौर

(DIPALI RASTOGI)
Inspector General of Registration
Madhya Pradesh